क्रम-संख्या—336

रजिस्ट्रेशन नम्बर—जी0—11—लाई0—
न्यूज पेपर/91/05—06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 29 नवम्बर, 2007

अग्रहायण 8, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 2384/79-वि-1—07-1(क)33-2007
लखनऊ, 29 नवम्बर, 2007

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007, पर दिनांक 27 नवम्बर, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42 सन् 2007 के रुप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:—

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42 सन् 2007]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) यह 15 जून, 2007 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1980 की धारा 4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 की उपधारा (1) में शब्द "अधिक से अधिक चार अन्य सदस्य" के स्थान पर शब्द "अधिक से अधिक छह अन्य सदस्य" रख दिये जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 5 में–

(क) उपधारा (1) में शब्द "पांच वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेंगी।

"(6) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा यथा संशोधित उपधारा (1) के उपबन्ध उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व पदधारण करने वाले प्रत्येक सदस्य पर भी लागू होंगे।"

निरसन और अपवाद

4–(1) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 तथा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2007 तथा उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन् 2007

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या उसके द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में नियुक्ति हेतु अध्यापक वर्ग के चयन को गति प्रदान करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1980) को संशोधित करके उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या चार सदस्य से बढ़ा कर छह सदस्य करने और उक्त आयोग के सदस्यों की पदावधि पांच वर्ष से घटाकर दो वर्ष करने की व्यवस्था की जाय।

चूँकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 15 जून, 2007 को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2007) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

सै० मजहर अब्बास आब्दी,

प्रमुख सचिव।

No. 2384/LXXIX-V-1-1(Ka) 33-2007
Dated, Lucknow, November 29, 2007

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Uchchatar Shiksha Seva Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 42 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on November 27 ,2007:-

THE UTTAR PRADESH HIGHER EDUCATION SERVICES COMMISSION (AMENDMENT) ACT, 2007

(U. P. ACT. NO. 42 OF 2007)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows:~

Short title and commencement

1.(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Act, 2007.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 15, 2007.

Amendment of section 4 of U.P. Act no. 16 of 1980

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980 hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section *(1) for* the words "not more than four other members" the words "not more than six other members" shall be *substituted*:-

Amendment of section 5

3. In section 5 of the principal Act,-

(a) in sub-section *(l) for* the words "five years" the words "two years" shall be *substituted.*

(b) *jor* suo-section (6) the following sub-section shall be *substituted,* namely:-

"(6) The provisions of sub-section (1) as amended by the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Act, 2007 shall apply also to every member holding office immediately before the commencement of the said Act."

Repeal and saving

U.P. Ordinnce no. 15 of 2007 and U.P. Ordiance no. 19 of 2007

4. (1) The Uttar Pradesh Higher Education Services U.P. Ordinance Commission (Amendment) Ordinance, 2007 and the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) (Second) Ordinance, 2007 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinances referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to motivating the selection of teachers for appointment to the colleges affiliated to or recognised by a University, it was decided to amend the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980 (U.P. Act no. 16 of 1980) to provide for increasing the number of members of the Higher Education Services Commission from four members to six members and reducing the term of office of the members of the said commission from five years to two years.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Ordinance, 2007 (U.P. Ordinance no. 15 of 2007) was promuglated by the Governor on June 15, 2007.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,

S.M.A. ABIDI,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 733 राजपत्र (हि0)–(1793)–2007 –(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 369 सा0 विधा0–(1794)–2007–850–(म्प्यूटर/आफसेट)।